

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2279]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 19, 2015/आश्विन 27, 1937

No. 2279]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 19, 2015/ASVINA 27, 1937

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2015

का.आ. 2861(अ).—केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड, मैसूर (कर्नाटक) एवं सालबोनी (पश्चिम बंगाल), में लगे उद्योगों की सेवाएं शामिल हैं, जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 25 में शामिल हैं, को जैसा कि इस मंत्रालय की दिनांक 01.05.2015 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 01 मई, 2015 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा अधिसूचित किया गया था।

और यह कि, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास के लिए और बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 01 नवम्बर, 2015 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/2/96 -आइ.आर.(पी.एल.)]

जि. वेणुगोपाल रेड्डी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th October, 2015

S.O. 2861(E).—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so requires that in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of the clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour & Employment, dated 01.05.2015 the services in the ‘**Bhartiya Reserve Bank Note Mudran Limited, Mysore (Karnataka) and Salboni (West Bengal)**’ which is covered by item **25** of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) to be a **Public Utility Service** for the purpose of the said Act, for a period of six months with effect from 1st May, 2015.

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares the said industry to be a Public Utility Service for the purposes of the said Act, **for a period of six months with effect from 1st November, 2015.**

[F. No. S-11017/2/96-IR (PL)]

G. VENUGOPAL REDDY, Jt. Secy.